1	2	3	4
15. West Bengal		Calcutta	308.43
Vividh Bharati Network*		Primary	806.64
Channel Phase-I**			138.06

*Sponsored programmes are broadcast on the Vividh Bharati network across several Centres with a built-in discount in the appropriate taritf.

**Earnings from advertisements broadcast before the 8 a.m. bulletin in Hindi and after the 9 p.m. bulletin in English, over the entire primary channel network of AIR.

फिल्मोंकासेंसरकियाजाना

132. **श्री वीरेन्द्र कटारिया:** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म सेंसर प्रमाणन बोर्ड के क्या कार्य हैं और सरकार द्वारा इसे क्या दिशानिर्देश दिये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन दिशा-निर्देशों के बावजूद चलचित्रों में अश्लील और भद्दे दृश्य तथा गीत और अत्यधिक हिंसा, बलात्कार के दृश्य और दोहरे अर्थों वाले गीत दिखाये जाते हैं; और

(ग) फिल्मों में इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी कदम उठाने का विचार रखती है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मुख्य कार्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त फिल्मों को प्रमाणित करना है। बोर्ड द्वारा जिन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार फिल्मों की जांच की जाती है और उन्हें प्रमाणित किया जाता है, उनके विवरण की प्रति संलग्न है।

(ख) और (ग) आपत्तिजनक एवं अश्लील दृश्यों, अत्यधिक हिंसा तथा द्विअर्थी गीतों वाली फिल्मों के प्रदर्शन के बारे में सरकार को समय-समय पर शिकायतें/प्रेस रिपोर्ट मिलती रहती हैं। तथापि, सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु आशायित सभी फिल्मों की केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के माध्यम से सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में जांच की जानी अपेक्षित है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, प्रमाणन हेतु फिल्मों की जांच करते समय बोर्ड द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित किया जाएगा कि:—

(1) हिंसा जैसे समाज-विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट अथवा न्यायोचित न ठहराई जाएं,

(2) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(3) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचाई जाए;

(4) ऐसे दिधअर्थी शब्द न रखे जाएं जिनसे नीच प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता हों;

(5) महिलाओं के साथ बलात्कार की कोशिश, बलात्कार या किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या जैसे इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए और यदि कोई ऐसी घटना विषयवस्तु के लिए प्रासंगिक हो तो उसे कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

फिल्म का कोई भाग यदि किसी एक या अधिक मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लंघन करता है तो उसे प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले हटा दिया जाता है। जब किसी फिल्म को अवयस्कों के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे "ख" प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है। यदि फिल्म के किसी आपत्तिजनक प्रभाव को विलोपन के माध्यम से समाप्त न किए जा सके तो उस फिल्म को प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जाता।

विवरण

(भारत सरकार के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड-3 तथा उपबंध (2) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर, 1991

अधिसूचना

सा०का०नि० 836 (ई) केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का०आ० 9 (अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन को मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे:—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:-

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे:

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लगाई जाए:

(ग) प्रमाणन व्यवस्था सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हो:

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करे: और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:

(1) हिंसा जैसी समाज विरोधी क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं:

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए:

(3) ऐसे दृश्य न दिखाएं जाएं जिनमें:—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरुपयोग किया गया हो:

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो: और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरुपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों:

(5) वे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें मध्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो:

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाए:

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए:

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो:

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाएं जाएं:

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए:

(11) काम-विकृतियों दिखाने वाले दृश्यों मे बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और इन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए:

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैज्ञानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिएं जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिएं जिससे किसी व्यक्ति या व्यक्ति व्याख्याः ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अंतर्गत आएंगे। निश्चय या न्यायालय की मानहानि या अवमानना होती हो;

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाएं जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह भी सुनिश्चित करेगा कि:—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है,: और

(2) उस फिल्म पर उस काल देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्में, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हो किन्तु, अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात् फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषय-वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके सुनिश्चित करेगा कि ये शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

पाद टिप्पणः— भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7.1.78 में का॰आ॰ 9 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.1.78 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ (सी) (i) भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 17.2.79 में का॰ आ॰ 618 के रूप में प्रकाशित तारीख 27.1.79 की अधिसूचना संख्या 5/5/77-एफ (सी)

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 7.5.83 में का॰ आ॰ 356 (अ) के रूप में प्रकाशित तारीख 7.5.83 की अधिसूचना संख्या 805/2/82-एफ (सी) (3) भारत

के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 9.9.89 में का० आ० संख्या 2179 के रूप में प्रकाशित तारीख 11.8.89 की अधिसूचना संख्या 803/4/89-एफ (सी)

फा०सं०805/1/90-एफ (सी)

ह०/
(एस० लक्ष्मीनारायणन)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
फोन: 383857

सेवा में,
प्रबंधक,
भारत सरकार प्रेस, रिंग रोड,
मायापुरी, नई दिल्ली।

invasion of Doordarshan Programmes by Cable Operators in Punjab

133. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in many places of Punjab, Cable network operators are showing their films on Channels reserved for Doordarshan, thereby depriving the people to see the Doordarshan programme due to their powerful system which make viewing the programme of Doordarshan difficult and forcing them to subscribe to their network; and

(b) what steps Government are taking to stop this invasion of Doordarshan programmes?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) Government is not aware of such incidents.

(b) Does not arise.

प्रसार भारती अधिनियम में संशोधन

134. श्री पर्वतनेनि उपेन्द्र: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रसार भारती अधिनियम में कुछ संशोधन करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो किए जाने वाले संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये संशोधन कब तक प्रभावी होने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री के०पी० सिंह देव): (क) से (ग) जी हां। सरकार प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) विधेयक, 1990 के परिचालन के समय आने वाली परिचालनात्मक कठिनाईयों को दूर करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम के लागू होने से पूर्व उसकी धारा 11(1), 11(2) 15 (7) तथा 25 संशोधन करने पर विचार कर रही है। तथापि, कोई लक्ष्य तिथि नहीं बताई जा सकती।

Launching of new Satellite Channel for Regional Programmes

135. SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether Government arc proposing to launch new satellite channels for regional programmes;

(b) if so, what are the details; and

(c) by when these channels arc likely to come into operation?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K.P. SINGH DEO): (a) to (c) The following regional language satellite channels of Doordarshan have been in operation since 1st February, 1994:-

Doordarshan-IV

Kannada, Malayalam. Tamil and Tclugu.

Doordarshan-V

Assamese, Bangla and Oriya